गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 244
दि. 04.01.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मनरेगा के सवाल पर कांग्रेस का निर्णायक संघर्ष, सड़कों से अदालत तक सरकार को घेरने की तैयारी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए 'विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम' के खिलाफ कांग्रेस ने खुला मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने इसे ग्रामीण गरीबों के अधिकारों पर सीधा हमला बताते हुए 10 जनवरी से 45 दिनों तक चलने वाले देशव्यापी आंदोलन 'मनरेगा बचाओ संग्राम' की घोषणा की है। कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं, बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों की रोजी-रोटी और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है, जो गांव की चौपालों से लेकर देश की अदालतों और विधानसभाओं तक लड़ी जाएगी।

शनिवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आंदोलन की रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा जैसे अधिकार आधारित कानून को खत्म कर उसे एक कमजोर, अनिश्चित और केंद्रीकृत योजना में बदलना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस बदलाव को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी और पार्टी का हर कार्यकर्ता अगले 45 दिन तक सड़कों पर रहेगा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार ने 'विकसित भारत' के नाम पर जो नया कानून लाया है, वह असल में ग्रामीण भारत को कमजोर करने वाला कदम है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह कानून 'विकसित भारत' नहीं बल्कि 'विनाश भारत' की गारंटी है। उनके मुताबिक मनरेगा का मूल स्वरूप विकेंद्रीकरण पर आधारित था, जिसमें पंचायतों की भूमिका केंद्रीय थी, लेकिन नया अधिनियम सत्ता को दिल्ली में केंद्रित कर देता है। इससे न केवल पंचायतों के अधिकार छिनेंगे, बल्कि ग्रामीण रोजगार की गारंटी भी धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी।

जयराम रमेश ने दावा किया कि यह आंदोलन किसान आंदोलन की तरह लंबा और असरदार साबित होगा। उन्होंने कहा कि जैसे किसान आंदोलन में सरकार को तीन कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, वैसे ही इस बार भी दबाव में आकर सरकार को 'जी राम जी' कानून वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस का मानना है कि ग्रामीण भारत में इस कानून को लेकर गहरा असंतोष है, जिसे सरकार नजरअंदाज नहीं कर पाएगी।

कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि यह लड़ाई केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी। पार्टी 'विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम' को न्यायालय में चुनौती देगी। कांग्रेस का तर्क है कि मनरेगा एक अधिकार आधारित कानून था, जिसे संसद ने गरीबों को रोजगार की कानूनी गारंटी देने के उद्देश्य से पारित किया था। नया कानून इस अधिकार को कमजोर करता है और संविधान की भावना के खिलाफ है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, 27 दिसंबर को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस कानूनी लड़ाई को अंतिम मंजूरी दी गई थी।

फंडिंग को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केसी वेणुगोपाल ने आंकड़ों के साथ बताया कि सरकार एक ओर यह दावा कर रही है कि नए कानून में कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 125 किया गया है, लेकिन दूसरी ओर केंद्र का वित्तीय योगदान 90 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि यह एक छलावा है। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है और पूरा आर्थिक बोझ राज्य सरकारों व पंचायतों पर डाल रही है। इससे गरीब राज्यों और पंचायतों के लिए योजना चलाना लगभग असंभव हो जाएगा और अंततः मनरेगा खुद-ब-खुद कमजोर हो जाएगी।

कांग्रेस का आरोप है कि यह कदम संघीय ढांचे पर भी हमला है। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों के अधिकारों में कटौती कर रही है और नया कानून उसी नीति का हिस्सा है। ग्रामीण रोजगार जैसी बुनियादी योजना को राज्यों के भरोसे छोड़ देना, जबकि संसाधन केंद्र के पास हों, यह संघीय व्यवस्था की भावना के खिलाफ है।

'मनरेगा बचाओ संग्राम' के तहत कांग्रेस ने विस्तृत चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। 10 जनवरी को देशभर के जिलों में प्रेस वार्ताओं के जरिए आंदोलन की औपचारिक शुरुआत होगी। 11 जनवरी को देशव्यापी प्रतीकात्मक उपवास रखा जाएगा, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। 12 से 29 जनवरी तक देश की हर ग्राम पंचायत में चौपाल बैठकों और जनसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पत्र मनरेगा श्रमिकों, ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों तक पहुंचाए जाएंगे।

पार्टी का फोकस केवल गांवों तक सीमित नहीं रहेगा। विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं, पर्चा वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि शहरी क्षेत्रों में भी इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाई जा सके। कांग्रेस का मानना है कि मनरेगा सिर्फ ग्रामीण मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा राष्ट्रीय सवाल है। आंदोलन का दूसरा चरण 31 जनवरी से 6 फरवरी तक चलेगा, जिसमें जिला स्तर पर धरने और प्रदर्शन किए जाएंगे। इन प्रदर्शनों के दौरान जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपालों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इसके बाद 7 से 15 फरवरी के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के नेतृत्व में राज्य विधानसभाओं का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि यह शक्ति प्रदर्शन राज्यों की राजधानियों में इसलिए किया जाएगा, ताकि यह स्पष्ट संदेश जाए कि केंद्र की नीतियां राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही हैं।

आंदोलन का समापन 16 से 25 फरवरी के बीच चार विशाल क्षेत्रीय रैलियों के साथ होगा। ये रैलियां देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिमी हिस्सों में आयोजित की जाएंगी। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि इन रैलियों के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर सरकार पर दबाव बनेगा और विपक्षी एकजुटता को भी मजबूती मिलेगी। पार्टी को उम्मीद है कि अन्य विपक्षी दल, ट्रेड यूनियन और सामाजिक संगठन भी इस अभियान से जुड़ेंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया के जरिए पार्टी की तीन प्रमुख मांगों को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि 'जी राम जी' कानून को तुरंत वापस लिया जाए, मनरेगा को उसके मूल अधिकार आधारित स्वरूप में बहाल किया जाए और पंचायतों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए। खरगे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मनरेगा कोई सरकारी खैरात नहीं, बल्कि गरीबों की कानूनी गारंटी है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने देगी।

कुल मिलाकर कांग्रेस इस मुद्दे को 2026 की राजनीति में एक बड़े जनआंदोलन के रूप में खड़ा करने की कोशिश में है। पार्टी का मानना है कि महंगाई, बेरोजगारी और ग्रामीण संकट से जूझ रहे देश में मनरेगा का कमजोर होना करोड़ों लोगों के लिए सीधा खतरा है। ऐसे में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के भविष्य को लेकर निर्णायक संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है।

रिसिन जैसे खतरनाक जहर से देश पर हमले की साजिश: जांच अब एनआईए के हाथ, आतंकी नेटवर्क की परतें खुलने की उम्मीद

(जीएनएस)। अहमदाबाद। देश में रासायनिक आतंकी हमले की एक बेहद खतरनाक और सुनियोजित साजिश से जुड़े मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कथित रिसिन जहर आतंकी साजिश की जांच गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) से लेकर एनआईए को सौंपने का फैसला किया है। यह निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है, जब जांच एजेंसियों को इस मामले में अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क, विदेशी हैंडलर्स और कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। गुजरात एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार, 3 जनवरी को इसकी पुष्टि की। गौरतलब है कि बीते वर्ष नवंबर में गुजरात एटीएस ने इस साजिश का पर्दाफाश कर देश को एक बड़े संभावित आतंकी हमले से बचाया था। 9 नवंबर को एटीएस ने डॉ. अहमद मोहिउद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहैल मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया था। इन तीनों पर हथियारों और खतरनाक रसायनों के जरिए बड़े पैमाने पर आतंकी हमले की योजना बनाने का आरोप है। जांच के दौरान सामने आया था कि आरोपियों के पास से रिसिन जैसे

अत्यंत घातक जहर से जुड़ा कच्चा माल और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद हुई थी, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी थी। एटीएस की शुरुआती जांच में पता चला था कि हैदराबाद निवासी डॉ. अहमद मोहिउद्दीन सैयद इस साजिश का मुख्य किरदार था। उसे 7 नवंबर को गांधीनगर के अडालज इलाके के पास से गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से दो ग्लॉक पिस्तौल, एक बेरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और करीब चार लीटर अरंडी का तेल बरामद हुआ था। अरंडी के तेल से रिसिन तैयार किए जाने की आशंका के चलते इस बरामदगी को बेहद गंभीर माना गया। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, रिसिन दुनिया के सबसे खतरनाक जैविक जहरों में से एक है और इसकी बहुत कम मात्रा भी जानलेवा साबित हो सकती है।

जांच में यह भी सामने आया कि अन्य दो आरोपी, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहैल मोहम्मद सलीम, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने डॉ. सैयद को हथियार सप्लाई किए थे। इन्हें बनासकांठा जिले से गिरफ्तार किया गया था। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक, यह साजिश केवल स्थानीय स्तर पर सीमित नहीं थी, बल्कि इसके तार अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से भी जुड़े हुए थे। अधिकारियों ने उस समय खुलासा किया था कि डॉ. अहमद मोहिउद्दीन सैयद का हैंडलर 'अबू खदीजा' अफगानिस्तान का रहने वाला था और उसका संबंध इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत यानी ISKP से था। इतना ही नहीं, सैयद पाकिस्तान के कई संदिग्ध लोगों के संपर्क में भी था। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह पूरा नेटवर्क सीमा पार से संचालित किया जा रहा था और भारत में बड़े पैमाने पर दहशत फैलाने की साजिश रची जा रही थी। एटीएस की जांच में यह भी सामने आया कि डॉ. सैयद ने चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी और उसने अपने शैक्षणिक ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए रिसिन तैयार करने की दिशा में गंभीर प्रयास शुरू कर दिए थे। उसने न केवल इस जहर को बनाने से जुड़ी रिसर्च की थी, बल्कि आवश्यक उपकरण और कच्चा माल भी जुटा लिया था। अधिकारियों के अनुसार, उसने शुरुआती केमिकल प्रोसेसिंग भी शुरू कर दी थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि वह महज योजना नहीं बना रहा था, बल्कि उसे अमल में लाने की तैयारी भी कर चुका था।

गुजरात एटीएस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत मामला दर्ज किया था। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई थीं। पुलिस अधीक्षक (एटीएस) के सिद्धार्थ ने बताया कि गृह मंत्रालय ने इस मामले की गंभीरता और इसके अंतरराष्ट्रीय पहलुओं को देखते हुए जांच एनआईए को सौंपने का आदेश दिया है।

बंगाल भाजपा में दिलीप घोष की वापसी विधानसभा चुनाव से पहले लंबी पारी की तैयारी

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भाजपा के भीतर एक बार फिर हलचल बढ़ गई है, और इसका केंद्र बिंदु हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष। कोलकाता के ईको पार्क में उनकी सुबह की सैर, न्यू टाउन स्थित आवास पर लगातार आती फोन कॉल्स और बढ़ती भीड़ यह संकेत दे रही है कि बंगाल की सियासी बिसात पर उनकी मौजूदगी मजबूत हो रही है। भाजपा के अंदरखाने में यह आकलन किया जा रहा है कि यह केवल औपचारिक वापसी नहीं है, बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले दिलीप घोष एक लंबी और रणनीतिक राजनीतिक पारी खेलने के इरादे से सक्रिय हो रहे हैं।

बीते कुछ वर्षों तक दिलीप घोष पार्टी में थे, लेकिन सक्रिय राजनीति से दूर दिखाई देते थे। उन्हें पार्टी की गाड़ी, ड्राइवर और केंद्रीय गृह मंत्रालय की सुरक्षा तो मिलती रही, लेकिन राज्य इकाई के बड़े आयोजन, रैलियों या रणनीतिक बैठकों में उनकी उपस्थिति नगण्य थी। पार्टी के अन्य नेताओं की तरफ से उनके बारे में जवाब भी हमेशा गोलमोल रहता था कि "दिलीप घोष केंद्रीय नेता हैं, उनके बारे में निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा।" बावजूद इसके घोष हमेशा कहते रहे कि "मैं पार्टी में हूं, कहीं गया नहीं हूं।" इस वनवास जैसा दौर उनके राजनीतिक करियर में लंबा छाया रहा, लेकिन अब लगता है कि वह समाप्त होने को है।

31 दिसंबर को एक अहम बैठक ने बंगाल भाजपा की राजनीतिक तस्वीर ही बदल दी। दिलीप घोष केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार अमित शाह की बैठक में शामिल हुए। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक का न्योता उन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक सुनील बंसल के जरिए मिला। यह संकेत साफ था कि केंद्रीय नेतृत्व अब उन्हें सक्रिय करने के लिए तैयार है और उनकी रणनीतिक भूमिका को मान्यता दी जा रही है। बैठक के बाद जो फोन पहले शांत पड़े थे, वे फिर से लगातार बजने लगे और जो समर्थन निष्क्रिय हो गया था, वह फिर से सक्रिय हो गया।

दिलीप घोष की सक्रियता केवल प्रतीकात्मक नहीं है। पार्टी के अंदर संगठनात्मक सुधार, कार्यकर्ताओं को जुटाने और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति में उनकी उपस्थिति ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह बंगाल में भाजपा को मजबूत करने के लिए लंबी पारी खेलना चाहते हैं। उनके समर्थक मानते हैं कि उनके पास संगठन को खड़ा करने और मतदाता स्तर पर काम करने का लंबा अनुभव है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल में भाजपा के लिए 2026 का विधानसभा चुनाव चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तृणमूल कांग्रेस की मजबूत पकड़ और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए पार्टी को अनुभवी नेताओं की जरूरत है, और दिलीप घोष के सक्रिय होने से यह जरूरत कुछ हद तक पूरी हो सकती है। उनका अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और जमीनी संपर्क पार्टी के लिए एक बड़ा संसाधन साबित हो सकता है।

राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि दिलीप घोष की वापसी केवल विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगी। वह राज्य में पार्टी की लंबी रणनीतिक तैयारियों का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें संगठन को मज़बूत करना, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना और मतदाता आधार बढ़ाना शामिल है। उनके सक्रिय होने से पार्टी के भीतर भी उत्साह और उम्मीद बढ़ी है।

अभी जो भी संकेत मिल रहे हैं, उससे यह साफ हो रहा है कि बंगाल भाजपा में दिलीप घोष की वापसी केवल औपचारिक नामांकन या समारोह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक लंबी और निर्णायक राजनीतिक पारी की तैयारी का हिस्सा है। आने वाले महीनों में यह देखने वाली बात होगी कि उनकी सक्रियता पार्टी के चुनावी रणनीति और बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य पर कितना असर डालती है।

इस बीच पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी उत्साहित हैं। उनके मुताबिक, घोष की वापसी से जमीनी स्तर पर संगठन और मजबूत होगा और चुनावी तैयारियों में तेजी आएगी। राज्य में भाजपा के लिए यह एक नई उम्मीद की किरण है, जो विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति को सुधारने में अहम भूमिका निभा सकती है।

दूषित पानी से फैली बीमारी ने बढ़ाई चिंता, गांधीनगर में टाइफाइड का प्रकोप, सौ से अधिक मरीज अस्पतालों में

(जीएनएस)। गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर इन दिनों टाइफाइड के अचानक बढ़े मामलों से जूझ रही है। बीते कुछ दिनों में जिस तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसने आम लोगों के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। पिछले तीन दिनों के भीतर 100 से अधिक लोग टाइफाइड के लक्षणों के साथ गांधीनगर सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इनमें बच्चों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक बताई जा रही है। अस्पताल में मरीजों की लगातार बढ़ती आमद के चलते स्वास्थ्य विभाग को अपनी व्यवस्थाएं तत्काल बढ़ानी पड़ी हैं।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। शनिवार को गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी स्वयं सिविल अस्पताल पहुंचे और भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों और अधिकारियों से इलाज की स्थिति, दवाओं की उपलब्धता और अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल अस्पताल में 104 संदिग्ध टाइफाइड मरीज भर्ती हैं और सभी का इलाज पूरी निगरानी में किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और मरीजों के इलाज में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी।

मामले की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गांधीनगर के जिला कलेक्टर से फोन पर कई बार बातचीत कर हालात की जानकारी ली है। बताया गया है कि उन्होंने शाम को दोबारा स्थिति की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध

कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर हो रही निगरानी से यह स्पष्ट है कि प्रशासन इस बीमारी को हल्के में लेने के मूड में नहीं है।

गांधीनगर सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद चिकित्सा व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने 22 डॉक्टरों की एक विशेष टीम तैनात की है, जो लगातार मरीजों की निगरानी कर रही है। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मचारियों की ड्यूटी भी बढ़ाई गई है, ताकि इलाज में किसी प्रकार की देरी न हो। अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके साथ आए परिजनों के लिए भोजन, पीने का साफ पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं, को मौके पर रहकर निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक पहलू पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर सामने आया है। सिविल अस्पताल की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. मीता पारिख ने जानकारी दी कि सेक्टर-24, 25, 26, 28 और आदिवाड़ा इलाके से सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। जब इन इलाकों से पानी के नमूने लेकर जांच कराई गई, तो यह सामने आया कि पीने का पानी सुरक्षित मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि दूषित पानी के कारण ही टाइफाइड का संक्रमण फैला है। टाइफाइड आमतौर पर दूषित पानी और भोजन के जरिए फैलने वाली बीमारी है, ऐसे में पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल सभी भर्ती मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है और किसी की स्थिति गंभीर नहीं है। डॉक्टरों के अनुसार, समय रहते इलाज शुरू हो जाने से मरीजों में सुधार देखने को मिल रहा है। बच्चों पर विशेष नजर रखी जा रही है, क्योंकि उनमें संक्रमण का असर अपेक्षाकृत जल्दी और गंभीर हो सकता है।

बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए गांधीनगर नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। प्रभावित इलाकों में घर-घर सर्वे शुरू कर दिया गया है, ताकि नए संदिग्ध मरीजों की पहचान समय पर की जा सके। स्वास्थ्य कर्मी लोगों से बुखार, पेट दर्द, उल्टी, दस्त और कमजोरी जैसे लक्षणों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें जांच के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को एहतियात बरतने की सख्त सलाह दी जा रही है।

नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि वे फिलहाल उबला हुआ पानी ही पीएं और बाहर का खुला भोजन खाने से बचें। घर का ताजा और साफ-सुथरा भोजन करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पानी की टंकियों और पाइपलाइनों की सफाई के लिए प्रभावित क्षेत्रों में क्लोरीन टैबलेट का वितरण भी किया जा रहा है। नगर निगम की टीमें पानी की सप्लाई व्यवस्था की भी जांच कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दूषित पानी आखिर कहां से और कैसे सप्लाई में मिल रहा है।

स्थानीय लोगों में इस बीमारी को लेकर चिंता का माहौल है। कई परिवारों ने बताया कि एक ही इलाके में बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने से डर का माहौल बन गया है। खासकर बच्चों के बीमार होने से माता-पिता ज्यादा परेशान हैं। वहीं प्रशासन की ओर से लगातार यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि टाइफाइड जैसी बीमारियों से बचाव के लिए साफ पानी और स्वच्छता सबसे अहम हैं। शहरी इलाकों में यदि पानी की सप्लाई व्यवस्था में थोड़ी सी भी चूक होती है, तो इसका असर बड़ी आबादी पर पड़ सकता है। ऐसे में प्रशासन के साथ-साथ नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे साफ-सफाई और खान-पान को लेकर सतर्क रहें।

फिलहाल गांधीनगर में हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही दूषित पानी के स्रोत की पहचान कर उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा, ताकि बीमारी का फैलाव रोका जा सके। आने वाले दिनों में यह साफ हो पाएगा कि उठाए गए कदम कितने प्रभावी साबित होते हैं, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने एक बार फिर शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था और पेयजल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

संपादकीय

जानलेवा पेयजल

यह शर्मनाक है कि जिस शहर को पिछले सात सालों से देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा दिया जा रहा था, वहां पेयजल में सीवर का पानी मिल जाने से एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो जाए। बताया जाता है कि इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन में सीवर के पानी के रिसाव से हजारों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया। घटनाक्रम के बाद सौ के करीब लोग अस्पताल में भर्ती हुए और सैकड़ों लोग दूषित पेयजल के उपयोग से बीमार हैं। वैसे भी किसी सभ्य समाज में व्यक्ति आत्मग्लानि से यह सुनकर बीमार हो जाएगा कि जिस पानी को उसने उपयोग किया, उसमें सीवर का गंदा पानी मिला था। निस्संदेह, यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही ही है, जिसके चलते हजारों लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। नगर निगम ही नहीं, इस महकमे से जुड़े सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल, इंदौर लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा हासिल करता रहा है तो इस दुर्घटना ने पूरे प्रकरण को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खी बना दिया। इस दुखद स्थिति के चलते मानवाधिकार आयोग और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने के लिये बाध्य होना पड़ा। विडंबना यह है कि नागरिकों ने पहले ही दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत की थी, लेकिन नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये जवाबदेह अधिकारी तब हरकत में आए, जब कई लोगों की जान जा चुकी थी। यहां तक कि इस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि और राज्य के नगरीय विकास मंत्री, जिनके अधीन पेयजल आपूर्ति का महकमा आता है, उनकी संवेदनहीन बयानबाजी ने लोगों का आक्रोश बढ़ाया है। हालांकि, तल्ख आलोचना के बाद मंत्री ने खेद जताया है। यहां तक कि इस घटना के बाद मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी वरिष्ठ भाजपा नेत्री उमा भारती ने भी दोषियों से प्रायश्चित करने व दंड देने की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ छोटे स्तर के अधिकारियों के निलंबन और स्थानांतरण से इन मौतों के लिये जिम्मेदार लोगों का प्रायश्चित हो पाएगा?

लेकिन विडंबना है कि यह समस्या केवल इंदौर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के छोटे-बड़े शहरों में गाहे-बगाहे दूषित जल आपूर्ति के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। दुर्घटना के बाद जांच समितियों का गठन, मुआवजे की घोषणा और कनिष्ठ अधिकारियों का निलंबन मामले में लीपापोती का उपक्रम बन चुका है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सुधार, क्रियान्वयन और रूपांतरण' के मंत्र पर जोर दिया था। तब उन्होंने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और जीवनयापन को सुगम बनाने के लिये प्रणालियों को अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया था। सवाल है कि जब नागरिकों को स्वच्छ हवा और जल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रखा जाएगा तो जीवनयापन को सुगम कैसे बनाया जा सकता है? मध्य प्रदेश की दोहरे इंजन वाली सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। कोई भी बड़ी योजना व नारा तब तक अर्थहीन है जब तक उन्हें जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई का समर्थन प्राप्त न हो। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद-21 के तरह जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इंदौर की त्रासदी दर्शाती है कि शहरी बुनियादी ढांचे के खराब रखरखाव के कारण इस अधिकार का उल्लंघन कितनी आसानी से हो सकता है। निष्कर्ष यह भी है कि स्वच्छता रैंकिंग, स्मार्ट सिटी के दावे और शासन संबंधी नारे व्यवस्थागत नाकामी को छिपा नहीं सकते। इंदौर की घटना के बाद देश के सभी राज्यों में संबंधित विभागों व स्थानीय निकायों को पेयजल से जुड़ी व्यवस्था का ध्यान रखना होगा कि कहीं पेयजल आपूर्ति लाइन जर्जर होकर दूषित पानी से तो नहीं मिल रही है। पेयजल आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइप लाइनों का नियमित रूप से अवलोकन होना चाहिए। इस बाबत मंत्रालय और निकाय के अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। ऐसे गंभीर मामलों में लापरवाही के दोषियों को सख्त सजा देने का भी प्रावधान होना चाहिए। यह मामला गैर इरादतन हत्या जैसा भी तो है।

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से उठा सवाल, क्या ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रख दिया है?

> "डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला पर की गयी सैन्य कार्रवाई तथा एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का दावा विश्व व्यवस्था के लिये एक भयंकर झटका है। यह केवल एक सैन्य और राजनीतिक घटना नहीं है बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून, कूटनीति और विश्वशांति के मूल सिद्धांतों पर सीधा प्रहार है।

अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य आक्रमण कर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करने का दावा किया है। यह अंतरराष्ट्रीय जगत में एक संवेदनशील और ऐतिहासिक घटनाक्रम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई और सैन्य हमले किये हैं। ट्रंप ने कहा है कि मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया है तथा देश से निकाल दिया गया है और वे अगली कानूनी प्रक्रिया के लिये अमेरिका ले जाये गये हैं। इस कार्रवाई को ट्रंप ने अपनी योजना के मुताबिक सफल बताया है तथा इसे वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया है। हालांकि हमले के विवरण और ठोस प्रमाण अभी तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

वहीं वेनेजुएला सरकार ने इसे अमेरिकी सैन्य आक्रमण तथा आंतरिक संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। साथ ही वेनेजुएला में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गयी है तथा नागरिकों से व्यापक विरोध और प्रतिरोध की अपील की गयी है। इस बीच, विश्व समुदाय के कई देश इस घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ ने इसे कूटनीति की आवश्यकता बताया है जबकि रूस, चीन तथा अन्य ने कड़ी निंदा की है।

देखा जाये तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला पर की गयी सैन्य कार्रवाई तथा एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का दावा विश्व व्यवस्था के लिये एक भयंकर झटका है। यह केवल एक सैन्य और राजनीतिक घटना नहीं है बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून, कूटनीति और विश्वशांति के मूल सिद्धांतों पर सीधा प्रहार है। जब किसी

देश का नेता बिना संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध, बिना स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय विधिक अधिकरण के निर्देश और बिना अन्तरराष्ट्रीय समुदाय की सहमति के किसी दूसरे देश में सैन्य हस्तक्षेप कर उसके सर्वोच्च नागरिक नेतृत्व को हटा देता है तो यह कृत्य न केवल उन मूलभूत मानकों का उल्लंघन है जिन पर आधुनिक विश्व राजनीति टिकी हुई है बल्कि यह नए वैश्विक संकटों के लिये एक मिसाल भी स्थापित करता है।

पहला सवाल यह है कि क्या ट्रंप का कदम जायज है? क्या ऐसा किसी भी न्यायिक या राजनीतिक मानक पर सही ठहराया जा सकता है? देखा जाये तो संप्रभुता किसी भी वैश्विक समझ का मूल आधार है और किसी भी देश की आंतरिक व्यवस्थाओं के प्रति बाहरी हस्तक्षेप को तभी वैध ठहराया जा सकता है जब वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भीतर व्यापक बहुमत द्वारा अनुमोदित हो या जब प्रत्यक्ष एवं सुनिश्चित मानवाधिकार संकट हो। नरसंहार या बड़े पैमाने पर युद्ध अपराध की स्थितियों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ऐसी स्वीकृति मिल सकती है लेकिन वेनेजुएला में ऐसे कोई हालात नहीं थे। वेनेजुएला की परिस्थिति चाहे जितनी भी विवादास्पद और जटिल रही हो, अमेरिका का यह एकतरफा सैन्य निर्णय अंतरराष्ट्रीय क़ानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों के सीधे विपरीत है। इसे केवल एक देश के भीतर मानवीय संकट या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के समाधान के रूप में पेश करना नास्तिकता के समान है। ट्रंप प्रशासन के पास यदि मादुरो के खिलाफ वाकई मजबूत सबूत थे तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या किसी बहुपक्षीय मंच पर प्रस्तुत किया जाना चाहिये था न कि अपने देश की सैन्य ताकत का उपयोग कर सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए था।

दूसरा सवाल यह है कि क्या कूटनीति की दुनिया में इस कदम को उचित कहा जा सकता है? देखा जाये तो कूटनीति वैचारिक मतभेदों, राजनीतिक तनावों तथा सत्ता के संघर्षों को बातचीत, समझौते और मध्यस्थता के ज़रिये सुलझाने की कला है। कूटनीति कभी प्रत्यक्ष हिंसात्मक उपायों को प्रोत्साहित नहीं करती। यदि अमेरिका को वास्तव में वेनेजुएला की वर्तमान प्रणाली में विसंगतियाँ और समस्यायें दिखतीं थीं तो उसके लिये संयुक्त राष्ट्र, ओएएस या किसी अन्य बहुपक्षीय संगठन के साथ मिलकर दबाव बनाना अधिक न्यायोचित और प्रभावी विकल्प होता। इसलिए ट्रंप प्रशासन का यह कदम कूटनीति की भावना का उल्लंघन है और यह उन सभी प्रयासों को भी बेअसर करता है जो शांति, संयम और सामूहिक समाधान की ओर इंगित करते हैं। जब राजनयिक रास्ता खुला रहता है तो हवाई हमले, बमबारी और अस्थिरता फैलाने वाले कदम किसी भी सभ्य कूटनीतिक प्रणाली का अंग नहीं बन सकते। अब तीसरा सवाल यह है कि आगे वेनेजुएला का क्या होगा? देखा जाये तो उस देश का एक अस्थिर भविष्य बेहद संभावित है। हिंसात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप वेनेजुएला के भीतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ और भी भयावह हो सकती हैं। यह देश पहले ही आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति तथा सामाजिक असंतोष का शिकार है, ऐसे में एक बाहरी सैन्य हमले से जनता का मनोबल गिर सकता है, नागरिक प्रतिरोध भड़क सकता है तथा आंतरिक संघर्ष और अधिक गहरा हो सकता है। इसके अलावा यह कदम लैटिन अमेरिका में क्षेत्रीय स्थिरता को भी दहला सकता है और पड़ोसी देशों को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर सकता है।

चौथा सवाल अंतरराष्ट्रीय सामरिक प्रभावों से संबंधित है। देखा जाये तो डोनाल्ड ट्रंप की यह नीति, वैश्विक सामरिक संतुलन पर लंबी अवधि में गंभीर प्रभाव डाल सकती है। ट्रंप द्वारा ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए धमकी देना और अब वेनेजुएला पर प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप जैसे कदम यह संकेत देते हैं कि अमेरिका एक ऐसा वैश्विक प्रहरी बनने की इच्छा रखता है जो अपने हितों को थोपने के लिये सैन्य बल का उपयोग करता है यह विश्व को दोध्रुवीकृत कर सकता है। निश्चित ही यह सब अमेरिका की विरोधी शक्तियों को एकजुट करने का काम करेगा। रूस, चीन और अन्य राष्ट्र पहले ही अमेरिका के इस कदम की निंदा कर चुके हैं तथा इसे सामरिक आक्रमण बता रहे हैं। देखा जाये तो वैश्विक सुरक्षा तंत्र पहले से ही तनावों और विभाजनों से जूझ रहा है, ऐसे में एक प्रमुख सुपरपावर द्वारा एक संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ हमला करना वैश्विक शासन और सहयोग के लिये एक गंभीर प्रश्न छोड़ता है। देखा जाये तो अंतरराष्ट्रीय न्याय और मानवाधिकार का सम्मान केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए बल्कि उसे कार्यनीतिक फैसलों और कार्रवाईयों में भी प्राथमिकता दी जानी चाहिये। एक अनियंत्रित और एकतरफा सैन्य कार्रवाई का समर्थन करना दीर्घकालीन वैश्विक स्थिरता, शांति तथा न्याय की भावना के खिलाफ होगा। ट्रंप के इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मनमाने ढंग से सेना, हथियार तथा सैन्य बल की धमकी का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और सहयोग को कमजोर करता है तथा विश्व समुदाय के विश्वास को तोड़ता है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में वैश्विक समुदाय को संयम, संवाद और न्यायिक प्रक्रिया की ओर लौटना चाहिए तभी हम एक बेहतर, अधिक सुरक्षित और अधिक न्यायसंगत विश्व की कल्पना कर सकते हैं।

प्रेरणा

भीतर जलता दीपक और जीवन का सच्चा उजाला

कहानी एक राजा की है, लेकिन उसका संदेश समय, समाज और व्यक्ति की सीमाओं से बहुत आगे तक जाता है। वह राजा प्रतापी था, शक्तिशाली था, उसके महल सोने-चांदी की चमक से जगमगाते थे। उसकी सत्ता दूर-दूर तक फैली थी, उसके आदेश से लोग कांपते थे, लेकिन एक दिन वही राजा घने जंगल में भटक गया। चारों ओर अंधकार, अनजान रास्ते, भय और असुरक्षा। यह वही अंधकार था, जो मनुष्य के जीवन में तब उतर आता है जब बाहरी सहारे छूट जाते हैं। जंगल के उसी अंधेरे में उसे एक गुफा दिखी, और गुफा के भीतर एक सिद्ध महात्मा ध्यान में लीन थे। न दीपक, न मशाल, फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और उजाला था।

राजा का प्रश्न स्वाभाविक था। उसने पूछा कि इस घोर अंधकार में बिना दीपक के कैसे बैठे हैं। महात्मा का उत्तर सीधा था, लेकिन उसमें जीवन का सार छिपा था। उन्होंने कहा कि बाहर जलने वाला दीपक केवल दीवारें दिखाता है, लेकिन जब दीपक भीतर जलता है, तब पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। यही वाक्य राजा के मन में हथौड़े की तरह लगा। जीवन भर वह बाहर की रोशनी पर निर्भर रहा था। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि भीतर भी कोई दीपक हो सकता है।

राजा ने जब भीतर के दीपक के बारे में पूछा, तो महात्मा ने इच्छाओं के तेल और संतोष की बाती की बात कही। यह केवल शब्द नहीं थे, यह मनुष्य की मानसिक संरचना का गहरा विश्लेषण था। इच्छाएं वह तेल हैं, जो जितना अधिक डाला जाए, उतनी ही आग को भड़काती हैं। मनुष्य सोचता है कि एक इच्छा पूरी हो जाएगी तो शांति मिलेगी, लेकिन इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इस अंतहीन श्रृंखला में मन जलता रहता है। राजा के पास सब कुछ था, फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। यह असंतोष ही उसका वास्तविक अंधकार था।

महात्मा ने बताया कि संतोष की बाती जलते ही ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। संतोष का अर्थ त्याग नहीं है, बल्कि स्वीकार है। जो है, उसमें पूर्णता का अनुभव करना। राजा को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसके महल की हजारों मशालें भी उसे वह शांति नहीं दे पाईं, जो इस अंधेरी गुफा में बैठे एक साधु के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उसे समझ आया कि बाहर की रोशनी आंखों तक सीमित होती है, लेकिन भीतर की रोशनी मन और आत्मा तक जाती है।

यह कथा केवल राजा की नहीं है, यह आज के मनुष्य की भी है। आज का मनुष्य शहरों की चकाचौंध में जी रहा है। हर ओर रोशनी है, स्क्रीन की चमक है, विज्ञापनों की जगमगाहट है, लेकिन भीतर का अंधकार बढ़ता जा रहा है। चिंता, तनाव, प्रतिस्पर्धा और तुलना ने मन को थका दिया है। हम सोचते हैं कि अगली उपलब्धि हमें शांति देगी, अगला लक्ष्य हमें संतोष देगा, लेकिन शांति और संतोष कहीं बाहर नहीं मिलते।

मन की शांति तब आती है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को पहचानता है और उन पर नियंत्रण करना सीखता है। इसका अर्थ यह नहीं कि इच्छाएं गलत हैं, बल्कि यह कि इच्छाओं का स्वामी बनना जरूरी है, उनका दास नहीं। जब इच्छाएं मनुष्य को चलाने लगती हैं, तब जीवन बोझ बन जाता है। लेकिन जब मनुष्य स्वयं को समझ लेता है, तब वही जीवन साधना बन जाता है।

महात्मा का यह कथन कि ज्ञान का प्रकाश वह है जिसे कोई हवा नहीं बुझा सकती, आज और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बाहरी सुख परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं। धन है तो सुख है, नहीं है तो दुख है। पद है तो सम्मान है, नहीं है तो अपमान है। लेकिन भीतर का प्रकाश इन परिस्थितियों से परे होता है। वह सुख-दुख, हार-जीत, लाभ-हानि से प्रभावित नहीं होता। यही स्थिरता मन की शांति का आधार है।

राजा के लिए वह गुफा केवल विश्राम का स्थान नहीं थी, वह आत्मबोध का केंद्र थी। वहां उसे यह समझ आया कि सच्ची सत्ता दूसरों पर नहीं, स्वयं पर होती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। तलवार से राज्य जीते जा सकते हैं, लेकिन मन की अशांति को नहीं। मन की अशांति केवल जागरूकता, संतोष और आत्मचिंतन से ही मिटती है।

जब राजा जंगल से लौटा, तो उसका जीवन बाहरी रूप से शायद वही था, लेकिन भीतर से वह बदल चुका था। अब उसके निर्णयों में जल्दबाजी नहीं थी, अहंकार नहीं था। वह जान चुका था कि प्रजा की सेवा केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि साधना है। उसने समझ लिया था कि शांति बाहर खोजने की चीज नहीं है, बल्कि भीतर जगाने की अवस्था है।

यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की भागदौड़ में ठहरना कितना जरूरी है। थोड़ी देर रुककर स्वयं से पूछना कि हम क्यों दौड़ रहे हैं और किसके लिए। अगर मन अशांत है, तो सारी उपलब्धियां अर्थहीन हो जाती हैं। लेकिन अगर मन शांत है, तो अभाव में भी आनंद संभव है। यही कारण है कि संत कम साधनों में भी प्रसन्न रहते हैं और असंतुष्ट लोग अपार साधनों में भी दुखी रहते हैं।

अंततः मन की शांति ही वह उजाला है, जो जीवन को दिशा देता है। यह उजाला बाहर से नहीं आता, इसे भीतर जलाना पड़ता है। जब इच्छाओं का तेल कम होता है और संतोष की बाती जलती है, तब ज्ञान का वह दीपक प्रज्वलित होता है, जो न केवल हमारे जीवन को, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी रोशन कर देता है। यही सच्चा उजाला है, और यही जीवन का वास्तविक अर्थ।

नयी शिक्षा नीति के समक्ष मौजूद कानूनी बाधाएं

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 केवल एक सरकारी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि यह 21वीं सदी के बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की नई आकांक्षाओं का जीवंत प्रतिबिंब है। 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आई यह नीति शिक्षा जगत में उस 'पैराडाइम शिफ्ट' की वकालत करती है, जिसका इंतज़ार भारत का युवा और बौद्धिक वर्ग दशकों से कर रहा था। यह नीति जहां एक ओर लचीलेपन, कौशल विकास और बहुविषयक दृष्टिकोण के माध्यम से भारत को 'विश्व गुरु' बनाने का स्वप्न देखती है, वहीं इसे जमीनी स्तर पर लागू करने की राह में कई सूक्ष्म प्रशासनिक और कानूनी जटिलताएं भी मौजूद हैं। इस नीति की वास्तविक सफलता और विफलता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसका 'कानूनी कार्यान्वयन' है। इस वैचारिक यात्रा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने प्रेरणादायक पहल की है। जब देश के कई राज्य और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय इस नीति के जटिल नियमों और बदलावों को समझने की जद्दोजहद में उलझे थे, तब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। यह समझा कि कोई भी नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसे जमीनी वास्तविकता से न जोड़ा जाए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश के उन अग्रणी संस्थानों में शामिल हुआ, जिसने एनईपी के प्रावधानों को सबसे पहले अपनाया व अपने शैक्षणिक ढांचे और पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन किए। परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय को एनईपी के सफल क्रियान्वयन के लिए 'प्लेटिनम अवार्ड' से नवाजा गया।

शिक्षा जगत में प्रायः एनईपी के शैक्षणिक लाभों जैसे रटने की प्रवृत्ति से मुक्ति और कौशल आधारित शिक्षा - पर व्यापक चर्चा होती है, लेकिन इसके 'कानूनी पेचों' पर खामोशी बरती जाती है। इन 'साइलेंट' समस्याओं को सुलझाए बिना नीति का पूर्ण लाभ मिलना दुष्कर है। सबसे बड़ी चुनौती 'संवैधानिक विरोधाभास' की है। संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। जब केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय नीति लागू करती है, तो राज्यों के अपने विश्वविद्यालय अधिनियमों के साथ उसका स्वाभाविक टकराव होता है। मसलन, एनईपी 'मल्टीपल एंट्री और एग्जिट' की सुविधा देती है। कानूनन, यदि एक छात्र एक राज्य के विश्वविद्यालय से एक वर्ष बाद सर्टिफिकेट लेकर निकलता है और दूसरे राज्य के विश्वविद्यालय में डिप्लोमा में प्रवेश चाहता है, तो दोनों राज्यों के नियमों में भिन्नता छात्र का भविष्य संकट में डाल सकती है। इस 'क्रेडिट ट्रांसफर' की कोई ठोस कानूनी गारंटी स्पष्ट नहीं है।

दूसरा महत्वपूर्ण और मौन मुद्दा 'स्वायत्तता बनाम नियंत्रण' का है। नीति कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता देने का प्रस्ताव करती है, लेकिन प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के तहत चार अलग-अलग वर्टिकल - नियमन, मान्यता, वित्त पोषण और मानक निर्धारण - कैसे एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना काम करेंगे, यह एक कानूनी भूलभुलैया बनी हुई है। यहां शक्ति के केंद्रीकरण का अंदेशा भी रहता है, जो लंबी कानूनी लड़ाइयों और मुकदमों का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल संप्रभुता और डेटा सुरक्षा एक गंभीर पहलू है जिस पर पर्याप्त बहस की आवश्यकता है। 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स' और डिजिटल लॉकर के माध्यम से करोड़ों छात्रों का संवेदनशील शैक्षणिक इतिहास ऑनलाइन उपलब्ध होगा। ऐसे में डेटा हैक होने या दुरुपयोग होने की स्थिति में कानूनी जवाबदेही किसकी होगी, यह अपरिभाषित है।

विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में कैंपस खोलने की बात एक बड़ा कदम है, लेकिन यहां भी 'भारतीय ट्रस्ट कानून' आड़े आता है। भारत में अधिकांश शिक्षण संस्थान 'लाभ के लिए नहीं' के सिद्धांत पर चलते हैं, जबकि विदेशी संस्थान अक्सर व्यावसायिक मॉडल अपनाते हैं। उन्हें फेमा (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट) और आयकर कानूनों के तहत आय वापस भेजने की अनुमति देना भारतीय संस्थानों के साथ भेदभावपूर्ण लग सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत कानूनी चुनौती बन सकता है। साथ ही, निजी संस्थानों में फीस नियंत्रण को लेकर नीति की चुप्पी शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ा सकती है, जिससे गरीब छात्रों के लिए समान अवसर का संवैधानिक अधिकार प्रभावित होगा। शिक्षा का बाज़ारीकरण रोकना समावेशी भारत के लिए अनिवार्य है।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए अब समय है कि एनईपी को एक मजबूत कानूनी कवच प्रदान किया जाए। जब तक इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं होगी, तब तक राज्यों के बीच क्रेडिट ट्रांसफर और प्रशासनिक बाधाएं बनी रहेंगी। इसके लिए 'विशेष शिक्षा न्यायाधिकरण' की स्थापना अनिवार्य है, जो तकनीकी विवादों का त्वरित निपटारा कर सके। सरकार को चाहिए कि वह एक उच्च-स्तरीय सलाहकार समिति का गठन करे। शिक्षाविदों का व्यावहारिक अनुभव राज्यों के पुराने अधिनियमों और नई नीति के बीच का अंतर पाटने के लिए एक 'मॉडल एक्ट' तैयार करने में मददगार होगा। नई शिक्षा नीति युवा पीढ़ी की तकदीर बदलने का एक ऐतिहासिक अवसर है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का मॉडल प्रमाण है कि अकादमिक स्वतंत्रता से सरकारी संस्थान भी नवाचार के केंद्र बन सकते हैं। लेकिन इसकी दीर्घकालिक सफलता के लिए हमें उन कानूनी बाधाओं को पहचानना होगा जो गतिरोध पैदा कर सकती हैं।

अभियान

आस्था, तप और परंपरा का संगम: पौष पूर्णिमा से आरंभ हुआ माघ मेला

पौष पूर्णिमा के पावन अवसर के साथ ही शनिवार से प्रयागराज की संगम रेती पर माघ मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद आस्था की गर्मी ऐसी रही कि तड़के भोर से ही बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और युवा गंगा तथा त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ते दिखाई दिए। ठिठुरन के बीच हर हर गंगे और जय मां गंगा के उद्घोष से पूरा मेला क्षेत्र गूंज उठा। इसी स्नान पर्व के साथ एक माह तक चलने वाले कल्पवास का भी आरंभ हो गया, जिसमें देश के कोने-कोने से आए श्रद्धालु तप, संयम और साधना के मार्ग पर अग्रसर होते हैं।

पौष पूर्णिमा का स्नान माघ मेले का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन संगम में स्नान करने से न केवल शरीर शुद्ध होता है, बल्कि मन और आत्मा का भी परिष्कार होता है। यही कारण है कि ठंड की परवाह किए बिना लाखों श्रद्धालु सूर्योदय से पहले ही स्नान घाटों की ओर पहुंच गए। गंगा के तट पर आस्था का ऐसा दृश्य देखने को मिला, जहां हर व्यक्ति अपनी-अपनी श्रद्धा, संकल्प और विश्वास के साथ जल में उतरता दिखाई दिया।

त्रिवेणी संगम आरती सेवा समिति के अध्यक्ष आचार्य राजेंद्र मिश्र के अनुसार, माघ मेले में आज से लगभग पांच लाख कल्पवासियों का कल्पवास प्रारंभ हो गया है। कल्पवासी एक विशेष नियम और अनुशासन के तहत पूरा एक माह संगम तट पर निवास करते हैं। वे दिन में दो बार गंगा स्नान करते हैं, एक पहर भोजन ग्रहण करते हैं और शेष समय अपने आराध्य देवता के ध्यान, पूजन, जप और साधना में बिताते हैं। यह जीवनशैली त्याग, संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक मानी जाती है।

मेला प्रशासन के अनुसार पौष पूर्णिमा का स्नान पूरे दिन भर चलता रहेगा। सुबह दस बजे तक ही करीब नौ लाख श्रद्धालु गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके थे। प्रयाग धाम संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने अनुमान जताया कि शाम तक लगभग बीस लाख श्रद्धालु पौष पूर्णिमा का स्नान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पौष पूर्णिमा का स्नान मुहूर्त शाम चार बजे तक रहेगा, जिसके चलते पूरे दिन श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहेगी।

स्नान के बाद कल्पवासी अपने-अपने पुरोहितों से एक माह के कल्पवास का विधिवत संकल्प लेते हैं। संकल्प के दौरान वे नियमों का पालन करने, संयमित जीवन जीने और सांसारिक भोग-विलास से दूर रहने का व्रत लेते हैं। इसके बाद वे माघ मेले की अवधि तक संगम तट पर ही प्रवास करते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे सनातन संस्कृति की एक अनूठी साधना माना जाता है।

प्रयागराज की मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल के अनुसार, पौष पूर्णिमा के अवसर पर 20 से 30 लाख श्रद्धालुओं के गंगा और संगम में स्नान करने की संभावना है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मेला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। माघ मेला क्षेत्र में लगभग 10,000 फुट क्षेत्रफल में 10 स्नान घाट बनाए गए हैं, ताकि श्रद्धालु सुगमता और सुरक्षा के साथ स्नान कर सकें। इसके अलावा संगम क्षेत्र और मेला क्षेत्र को जोड़ने के लिए नौ पांटून पुल बनाए गए हैं, जिससे आवागमन आसान हो सके।

माघ मेले में इस वर्ष एक विशेष पहल के तहत कल्पवासियों के लिए अलग से एक नगर बसाया गया है। एडीएम (माघ मेला) दयानंद प्रसाद ने बताया कि पहली बार कल्पवासियों के लिए एक संगठित और सुव्यवस्थित नगर विकसित किया गया है, जिसे 'प्रयागवाल' नाम दिया गया है। यह नगर 950 बीघा क्षेत्र में बसाया गया है और इसे नागवासुकी मंदिर के सामने गंगा नदी के पार स्थापित किया गया है। यहां कल्पवासियों के लिए आवास, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

माघ मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोग शामिल हैं। कोलकाता से सपरिवार स्नान करने आईं पूजा झा ने बताया कि माघ मेले में आकर उन्हें अत्यंत शांति और आनंद की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि संगम में स्नान करने से मन को विशेष सुकून मिलता है और यह अनुभव शब्दों में बयान करना कठिन है। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा से लड्डू गोपाल को लेकर आईं शिवानी मिश्रा ने कहा कि वह महाकुंभ में तीन बार स्नान करने आई थीं, लेकिन माघ मेले में अपेक्षाकृत कम भीड़ होने के कारण उन्हें यहां और भी अच्छा अनुभव मिला। उन्होंने कहा कि संगम में स्नान और कल्पवास की परंपरा उन्हें भीतर से जोड़ती है।

माघ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक समागम भी है। यहां साधु-संतों के प्रवचन, यज्ञ, हवन, कथा और भजन-कीर्तन का आयोजन होता है। संगम तट पर दिनभर धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं, जिससे वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। कल्पवासी अपने तंबुओं में साधना करते हैं और साधु-संतों के सान्निध्य में जीवन के गूढ़ रहस्यों पर चिंतन करते हैं।

मेला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्नान घाटों पर गोताखोरों और जल पुलिस की तैनाती की गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए सफाई कर्मियों की विशेष टीम तैनात की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

माघ मेला 2026 के दौरान कई प्रमुख स्नान पर्व आयोजित होंगे, जिनमें पौष पूर्णिमा के बाद मकर संक्रांति (14 जनवरी), मौनी अमावस्या (18 जनवरी), बसंत पंचमी (23 जनवरी), माघी पूर्णिमा (एक फरवरी) और महाशिवरात्रि (15 फरवरी) शामिल हैं। इन स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि होने की संभावना है। मेला प्रशासन ने इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था करने की योजना बनाई है।

सदियों से चली आ रही माघ मेले की परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है। यह मेला केवल स्नान का अवसर नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, साधना और सामूहिक आस्था का प्रतीक है। पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हुआ यह मेला आने वाले दिनों में आस्था, श्रद्धा और तप का विराट स्वरूप प्रस्तुत करेगा। संगम की रेती पर बसे तंबुओं, ठंड में जलती धूनी, गंगा में लगती आस्था की डुबकियां और संतों के सान्निध्य में बिताया गया यह समय श्रद्धालुओं के जीवन में एक अविस्मरणीय अनुभव बनकर दर्ज हो रहा है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने केन्द्र प्रायोजित 10 प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं की सर्वग्राही समीक्षा की

▸▸2026 के अंत तक राज्य में पाँच मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों का निर्माण कार्य पूर्ण होने जाने से राज्य के नागरिकों को अधिक सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएँ आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी

▸▸मुख्यमंत्री का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मा का पारदर्शी, तेज तथा एआई आधारित टेक्नोलॉजी से क्रियान्वयन करने का सुझाव

▸▸प्रधानमंत्री का ग्रामीण स्तर तक होलिस्टिक हेल्थकेयर का दृष्टिकोण गुजरात में 7733 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर द्वारा साकार हो रहा है

▸▸मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिशन तथा प्रधानमंत्री मातृवंदना आदि योजनाओं का व्यापक लाभ ग्रामीण-तहसील स्तर पर अधिक लोगों को मुहैया कराने के लिए वर्तमान व्यवस्थाएँ सुदृढ़ करने का मार्गदर्शन दिया

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर राज्य के सुदूरवर्ती तथा अंतिम छोर के ग्रामीण क्षेत्रों एवं तहसीलों तक लागू स्वास्थ्य सुख-सुविधा से जुड़ी योजनाओं की वर्तमान स्थिति की सर्वग्राही समीक्षा की। श्री पटेल ने बैठक में कहा कि राज्य में राजपीपळा, मोरबी, नवसारी, गोधरा तथा पोरबंदर; इन पाँच मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों तथा हॉस्टलों का निर्माण कार्य वर्ष 2026 के दिसंबर माह तक पूरा हो जाएगा। इसके फलस्वरूप सुदूरवर्ती-अंतिम छोर के आदिवासी क्षेत्रों के गाँवों तथा सौराष्ट्र के दूरदराजी गाँवों के लोगों को निकटस्थ स्थान पर ही सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएँ आसानी से उपलब्ध होंगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हेल्थकेयर फॉर ऑल का जन स्वास्थ्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाकर जो महत्वपूर्ण केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ शुरू कराई हैं, उनकी प्रगति पर बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशानिर्देश दिए।

विशेषकर ग्रामीण स्तर तक आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक उपचार पद्धति सहित जन स्वास्थ्य सुख-सुविधा के लिए होलिस्टिक हेल्थकेयर का प्रधानमंत्री दृष्टिकोण गुजरात में 7733 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के व्यापक नेटवर्क से साकार हो रहा है। बैठक में इसका भी विवरण दिया गया।

मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ डेवलपमेंट मिशन अंतर्गत राज्य में 410 अर्बन हेल्थ सेंटर्स, 33 जिलों में आधुनिक लैब्स तथा 32 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स के निर्माण की

प्रगति की जानकारी प्राप्त कर यह सुनिश्चित करने के दिशानिर्देश दिए कि ये कार्य समयसीमा पर पूर्ण हों। इसके अलावा; स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बैठक में यह जानकारी भी दी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 302 सब सेंटर्स तथा 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नए भवनों का निर्माण भी पूरा हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सुझाव दिया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मा का राज्य में पारदर्शी, तेज एवं एआई आधारित टेक्नोलॉजी से अधिक पुख्ता ढंग से और व्यवस्थित क्रियान्वयन हो।

बैठक में प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में राज्य की 3.44 लाख से अधिक माताओं को पोषण सहायता, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – मा अंतर्गत 2.69 करोड़ सदस्यों का पंजीकरण और 10 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की उपलब्धता के बारे में भी विवेचना की गई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री की हर कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में गुजरात अग्रसर है। उन्होंने इसी परंपरा के अनुसार केन्द्र प्रायोजित प्रमुख 10 स्वास्थ्य योजनाओं के श्रेष्ठ क्रियान्वयन में भी गुजात को अग्रसर रखकर स्वस्थ गुजरात का संकल्प साकार करने का अनुरोध किया।

इस समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री राजीव टोपनो, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, स्वास्थ्य आयुक्त (ग्रामीण व शहरी) श्री हर्षद पटेल तथा डॉ. रतनकँवर गढवीचारण, अपर स्वास्थ्य निदेशक एवं वरिष्ठ अधिकारी सहभागी हुए।

वर्ष 2025 के दौरान अहमदाबाद मंडल में कुल 2047 अलार्म चेन पुलिंग की घटनाएँ दर्ज की गई एवं 1855 मामलों में केस दर्ज किए गए

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत 1813 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई,वर्ष 2025 के दौरान अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग के मामलों में कुल 5,65,100 का जुर्माना वसूला गया

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल का रेलवे सुरक्षा बल (RPF) यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे संपत्ति की रक्षा और स्टेशनों पर सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहा है। साथ ही वर्ष 2025 के दौरान अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखते हुए अनुकरणीय कार्य किया है। यात्रियों की सुरक्षा, ट्रेनों की समयपालनता तथा निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित करने हेतु RPF द्वारा निरंतर सतर्कता, त्वरित कार्रवाई एवं प्रभावी समन्वय के परिणामस्वरूप अलार्म चेन पुलिंग (ACP) मामलों में उल्लेखनीय नियंत्रण स्थापित किया गया। 01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच अहमदाबाद मंडल में कुल 2047 अलार्म चेन पुलिंग की घटनाएँ दर्ज की गईं। इनमें से 1855 मामलों में केस दर्ज किए गए, जबकि शेष मामलों में प्रारंभिक जांच के बाद वैधानिक कारणों से केस दर्ज नहीं किया गया। RPF ने 1813 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की तथा 5,65,100 का जुर्माना वसूला गया।

मण्डल रेल प्रबंधक अहमदाबाद के अनुसार 1142 अलार्म चेन पुलिंग घटनाएँ स्टेशनों पर तथा 905 घटनाएँ सेक्शनों में रिपोर्ट की गईं। स्टेशनों पर दर्ज 1142 मामलों में से 1031

मामलों में केस दर्ज किए गए, जबकि सेक्शनों में दर्ज 905 मामलों में 812 मामलों में विधिवत कार्रवाई की गई। दिन के विभिन्न समयों में अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की घटनाओं का विश्लेषण कर RPF द्वारा संवेदनशील समयावधियों में विशेष निगरानी और गश्त की व्यवस्था की गई।

समाख्याली (63) तथा समाख्याली–भुज (68), अहमदाबाद-साबरमती (49) सेक्शनों में अधिक अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की घटनाएँ दर्ज की गईं, जहाँ RPF द्वारा अतिरिक्त निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

अलार्म चेन पुलिंग के प्रमुख कारणों में यात्री द्वारा गलत ट्रेन या कोच में चढ़ना, यात्री का सामान छूट जाना तथा साथी यात्री छुट जाना आदि शामिल है। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए RPF द्वारा यात्रियों को जागरूक करने हेतु निरंतर अभियान चलाए गए तथा रेलवे स्टाफ के साथ समन्वय बढ़ाया गया।

इसके अतिरिक्त, कुछ ट्रेनों जैसे आश्रम एक्सप्रेस, कच्छ एक्सप्रेस, अला हज़रत एक्सप्रेस, अरावली एक्सप्रेस एवं लोकशक्ति एक्सप्रेस में अलार्म चेन पुलिंग की घटनाएँ अपेक्षाकृत अधिक पाई गईं, जिस पर RPF द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है। रेल प्रशासन एवं RPF यात्रियों से अपील करता है कि अलार्म चेन का उपयोग केवल आपात स्थिति में ही करें। अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग न केवल ट्रेन परिचालन को बाधित करता है, बल्कि अन्य यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को भी प्रभावित करता है। अहमदाबाद मंडल RPF सुरक्षित, संरक्षित और समयबद्ध रेल परिचालन के लिए भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा।

स्टेशनों में अलार्म चेन पुलिंग की दृष्टि से अहमदाबाद (450), साबरमती (189), मणिनगर (50), महेसाणा (92), विरामगाम (42) एवं गांधीधाम (38) प्रमुख रूप से प्रभावित रहे। वहीं, सेक्शन स्तर पर गेरतपुर–अहमदाबाद (142), अहमदाबाद–विरामगाम (122), उंझा–पालनपुर (71), झुंड–

गुजरात में प्रेम-सगाई से जुड़ा हत्याकांड इंस्टाग्राम दोस्ती ने लिया खौफनाक मोड़

(जीएनएस)। वडोदरा/छोटा उदेपुर। गुजरात के वडोदरा में एक प्रेम और सगाई से जुड़ा मामला अब हत्या तक पहुंच गया है। मामला इतना सनसनीखेज है कि सोशल मीडिया की दोस्ती, बढ़ता प्यार, झगड़े और अंततः हत्या ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया है। पुलिस ने 23 वर्षीय महिला रेखा राठवा को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने सगाईशुदा प्रेमी सचिन राठवा का गला दुपट्टे से घोंटकर हत्या कर दी।

पुलिस के अनुसार सचिन और रेखा की मुलाकात इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। सोशल मीडिया पर बातचीत और दोस्ती बढ़ने के बाद दोनों ने एक-दूसरे को करीब जाना शुरू किया। समय के साथ प्यार बढ़ा और दोनों ने पिछले साल सगाई कर ली। रेखा रेलवे में हेल्पर का काम करती थी और उसे वडोदरा रेलवे कॉलोनी में आवास मिला हुआ था। सचिन, जो ड्राइवर था, वहां रेखा के साथ रहने लगा।

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों के रिश्ते में कड़वाहट बढ़ गई थी। सचिन अक्सर रेखा पर शक करता था और उसे लगता था कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसी वजह से झगड़े और कहासुनी आम हो गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर एएम गोहिल के अनुसार, हाल ही में सचिन और रेखा का झगड़ा और तीखा हो गया। रेखा ने कुछ दिन पहले

सचिन के साथ छोटा उदेपुर में यात्रा की थी, उसी दौरान एक दूसरे पुरुष से मिलने की घटना ने सचिन को परेशान कर दिया।

29 दिसंबर को इस कड़वाहट के बीच दोनों के बीच तीखी बहस हुई। झगड़े के बाद सचिन ने अपने पिता को फोन किया और बताया कि वह रेखा के साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहता है। उसी रात सचिन ने यह कहकर सो गया कि वह बीमार है। पुलिस के अनुसार रेखा ने सोते हुए सचिन का गला अपने दुपट्टे से घोंट दिया। कुछ देर बाद वह बाहर आई और शोर मचाया कि सचिन उठ नहीं रहा है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

प्रारंभिक तौर पर रेखा ने खुद को अनजान और निरपराध दिखाने की कोशिश की। उसने दावा किया कि उसे नहीं पता कि सचिन की मौत कैसे हुई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि गला घोंटकर हत्या की गई थी। इसके बाद रेखा ने अपराध कबूल कर लिया। मकरपुरा पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया।

पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रेखा ने यह हत्या अकेले की थी या किसी अन्य व्यक्ति की मदद ली गई थी। इंस्पेक्टर गोहिल ने बताया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। घटना ने सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हुई प्रेम कहानियों में बढ़ती खतरनाक प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

यह खौफनाक मामला प्रेम, विश्वासघात और हिंसा की त्रासदी को उजागर करता है। इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शुरू हुई दोस्ती आखिरकार झगड़े और हत्या तक क्यों पहुंच गई, इसे लेकर पुलिस और समाज दोनों गंभीर सोच में हैं। यह घटना वडोदरा और आसपास के क्षेत्रों में लोगों के लिए चेतावनी की तरह है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास, ईमानदारी और संयम अत्यंत जरूरी हैं।

मामले की जांच अभी जारी है, और पुलिस हर एंगल से सत्यापित कर रही है कि हत्या में किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं। इस घटना ने न केवल वडोदरा में बल्कि पूरे गुजरात में सनसनी फैला दी है, और प्रेम-सगाई से जुड़े मामलों में सुरक्षा और जागरूकता की आवश्यकता को उजागर किया है।

6 और 10 जनवरी 2026 की साबरमती-जैसलमर एक्सप्रेस पोकरण स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी

(जीएनएस)। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मण्डल में राईका बाग पैलेस-जैसलमर सेक्शन में जेठा चांदन-थईरात हमीरा स्टेशनों के बीच ब्रिज नं.170 और जैसलमेर-थईरात हमीरा स्टेशनों के बीच ब्रिज नं. 179 पर इंजीनियरिंग कार्य हेतु ट्राफिक ब्लॉक लिया गया है। जिसके कारण साबरमती-जैसलमर एक्सप्रेस आंशिक निरस्त रहेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

▸▸ट्रेन संख्या 20492 साबरमती-जैसलमर एक्सप्रेस 06 और 10 जनवरी 2026 को पोकरण स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। इसलिए यह ट्रेन पोकरण और जैसलमर के बीच आंशिक निरस्त रहेगी। ▸▸ट्रेन संख्या 20491 जैसलमर-साबरमती एक्सप्रेस 07 और 11 जनवरी 2026 को पोकरण स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। इसलिए यह ट्रेन जैसलमर और पोकरण के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

सुलतानपुर में आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई में मिली टलफरिस्त संजय सिंह पर विशेष अदालत में अगली सुनवाई 16 जनवरी को

(जीएनएस)। सुलतानपुर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में शनिवार को एमपी/एमएलए विशेष अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन मामले का फैसला फिलहाल टल गया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह पूरी करने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 16 जनवरी तय की है। यह मामला पंचायत चुनाव वर्ष 2021 से जुड़ा है और आरोप है कि 13 अप्रैल 2021 को बंधुआकलां थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी सलमा बेगम के समर्थन में एक चुनावी सभा आयोजित की गई थी। आरोप है कि यह सभा प्रशासनिक अनुमति के बिना हुई थी, जिसमें संजय सिंह समेत कई लोग मौजूद थे।

पुलिस ने संजय सिंह और 12 अन्य नामजद और 45 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच पूरी होने के बाद 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए। अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, जबकि संजय सिंह की अनुपस्थिति के कारण पहले अदालत ने जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद जुलाई 2024 में उन्होंने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और निजी मुचलके व जमानत बंधपत्र पर रिहा हुए। विशेष अदालत ने पहले ही आरोपियों की डिस्चार्ज याचिकाएं खारिज कर दी थीं और आरोप तय कर दिए थे। शनिवार को अदालत में साक्ष्य की कार्रवाई के तहत तत्कालीन उप निरीक्षक अजय पाल की गवाही दर्ज की गई। उनके बयान और गवाह से जिरह पूरी होने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को निर्धारित की। इस सुनवाई में दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे और अदालत आगामी कार्रवाई तय करेगी।

इस मामले में सांसद संजय सिंह की कानूनी टीम लगातार अदालत के समक्ष अपनी दलीलों को पेश करने की तैयारी में है। यह मामला राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील है, क्योंकि इसमें आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। प्रशासन और न्यायालय मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित कर रहे हैं।

सुलतानपुर की जनता और राजनीतिक दल भी इस मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं। आगामी सुनवाई में अदालत के फैसले का असर स्थानीय राजनीति और आगामी चुनावी रणनीतियों पर भी पड़ सकता है। सांसद संजय सिंह की सक्रिय उपस्थिति और उनके वकीलों की दलीलों से मामला और अधिक चर्चा में रहेगा।

पौष पूर्णिमा पर संगम तट पर श्रद्धा और भव्य मेला, लाखों ने लगाई आस्था की डुबकी

(जीएनएस)। प्रयागराज। माघ मेला 2026 का आगाज पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर बड़े उत्साह और भव्यता के साथ हुआ। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक इस मेला में शनिवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पहले दिन ही 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम के तटों पर पवित्र डुबकी लगाई। सुबह से ही संगम तट श्रद्धालुओं से गूंज उठा, हर ओर "हर-हर महादेव" और "जय गंगा मैया" के उद्घोषों ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। सुरक्षा और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार शनिवार तड़के से ही श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचने लगे थे। दोपहर 12 बजे तक लगभग 15 लाख, दो बजे तक 19 लाख और शाम तक 22 लाख से अधिक श्रद्धालु पुण्य स्नान कर चुके थे। प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि पौष पूर्णिमा पर कुल 25-30 लाख श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं।

श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के कारण मेला क्षेत्र के कई मार्गों पर भारी भीड़ और यातायात दबाव देखा गया। इसके बावजूद प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए थे। मेला क्षेत्र में सभी पांटून पुलों को वन-वे कर दिया गया और पूरे क्षेत्र को सात सेक्टरों में विभाजित किया गया। घाटों पर स्नान और ध्यान का सिलसिला दिनभर लगातार चलता रहा। इस वर्ष माघ मेले को पिछले आयोजनों की तुलना में और भी भव्य स्वरूप देने की तैयारी की गई थी। मेला क्षेत्र में करीब 800 हेक्टेयर में टेंट सिटी विकसित की गई है, जबकि पिछले आयोजन में यह क्षेत्र 768 हेक्टेयर का था। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार पूरे माघ मेले में लगभग 15 करोड़ श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में महाकुंभ की तैयारियों के कारण माघ मेले का आयोजन नहीं किया गया था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते

हुए इस बार माघ मेले में पहली बार दो रिवर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई। इसके अलावा मेला क्षेत्र में कुल 80 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्थायी अस्पतालों के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और आपातकालीन सुविधाओं को सुनिश्चित किया है। मेला में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। झूंसी बस अड्डे से 2,250 बसें संचालित की जा रही हैं, जबकि पूरे मेला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश रोडवेज की कुल 3,800 बसें तैनात हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों के लिए शटल बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। भारतीय रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन, रामबाग और झूंसी स्टेशनों पर लंबी दूरी की ट्रेनों को भी विशेष ठहराव प्रदान किया है।

मेला क्षेत्र में 15,500 विद्युत पोलों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं। श्रद्धालु इन क्यूआर कोड को स्कैन कर अपनी लोकेशन साझा करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं या आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक पोल पर सेक्टर, सड़क का नाम और जी-कोड अंकित किया गया है, जिससे प्रशासन त्वरित सहायता प्रदान कर सके। यह सुविधा खासकर बुजुर्गों और पहली बार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है।

श्रद्धालुओं के लिए खाने-पीने, शौचालय और चिकित्सा सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। मेला प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि भीड़ के बावजूद कोई परेशानी न हो और हर श्रद्धालु अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह सुरक्षित वातावरण में कर सके। इस बार के माघ मेले की सबसे बड़ी विशेषता इसका संगम तट पर श्रद्धालुओं की विशाल उपस्थिति है। प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और स्वयंसेवकों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि श्रद्धालु अपने पवित्र स्नान और ध्यान का अनुभव पूरी भक्ति और सुरक्षा के साथ कर सकें। संगम के तट पर हर तरफ भव्य दृश्य और श्रद्धा का उत्सव देखने को मिला, जो इस धार्मिक आयोजन की गरिमा और भव्यता को और बढ़ा देता है। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा, ध्यान और हवन में भाग लेकर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान हर-हर महादेव और जय गंगा मैया के उद्घोष पूरे मेला क्षेत्र में गूंजते रहे। प्रशासन ने इस वर्ष भी सुरक्षा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का व्यापक उपयोग किया, ताकि भीड़ पर नजर रखी जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

इस प्रकार, पौष पूर्णिमा के दिन संगम तट पर आयोजित माघ मेला 2026 ने लाखों श्रद्धालुओं को एकत्रित कर धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से क्षेत्र को भर दिया। श्रद्धालुओं की विशाल संख्या, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की दक्षता और सुरक्षित वातावरण ने माघ मेले को अब तक के सबसे व्यवस्थित और भव्य आयोजनों में से एक बना दिया है।

‘लिगेसी वेस्ट मुक्त गुजरात’ की दिशा में बढ़ते कदम, अब तक 273.33 लाख मीट्रिक टन पुराने कूड़े का निस्तारण

- मार्च 2026 तक राज्य में 100% लिगेसी वेस्ट निपटान का लक्ष्य, शहरों में वर्षों पुराने कूड़े के निस्तारण के मामले में गुजरात बड़े राज्यों में अग्रणी
- निर्मल गुजरात 2.0 योजना के तहत शहरी स्थानीय निकायों के लिए लिगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए 75 करोड़ रुपए आवंटित

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में राज्य में शहरीकरण को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने गुजरात में योजनाबद्ध शहरी विकास, मजबूत नगर पालिका व्यवस्था और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत आधारशिला रखी थी। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ‘शहरीकरण समस्या नहीं, बल्कि अवसर’ के मंत्र के साथ शहरों को ग्रीन, क्लीन और रहने लायक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। जब बात शहरीकरण की हो, तब स्वच्छता, आधुनिक और टिकाऊ ढांचागत सुविधा के अलावा लिगेसी वेस्ट यानी वर्षों पुराने कूड़े का निस्तारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लिगेसी वेस्ट निस्तारण के व्यापक अभियान के परिणामस्वरूप गुजरात वर्षों पुराने कूड़े के निस्तारण के मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है।

लिगेसी वेस्ट मैनेजमेंट : शहरी विकास का महत्वपूर्ण मानदंड

गुजरात सरकार के शहरी विकास विभाग ने शहरों में स्वच्छता, आधुनिक और टिकाऊ ढांगागत सुविधाओं और नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की सुगमता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य ने शहरी विकास के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। उल्लेखनीय बात यह है कि गुजरात वर्षों से डम्प साइटों में जमा हुए कूड़े के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के मामले में भी बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे आगे है। लिगेसी वेस्ट मैनेजमेंट शहरी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक मापदंड है। वर्षों से डम्प साइटों में जमा हुए कूड़े के निपटान से प्रदूषण और स्वास्थ्य का खतरा कम होता है। साथ ही, खाली हुई भूमि विकास कार्यों को बढ़ावा देने और ग्रीन स्पेस बढ़ाने के लिए उपयोगी सिद्ध होती है।

लिगेसी वेस्ट के निपटान से 902 एकड़ भूमि खाली हुई, मीथेन उत्सर्जन में आई उल्लेखनीय कमी

राज्य के महानगर पालिका और नगर पालिका क्षेत्रों में डम्प साइटों के साफ होने से बड़े पैमाने पर भूमि खाली हुई है। राज्य सरकार ने लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए जो प्रयास शुरू किए हैं, उसके परिणामस्वरूप लगभग 902 एकड़ भूमि खाली हुई है। इस जमीन का उपयोग प्रोसेसिंग प्लांट बनाने के काम के लिए किया गया है। इसके अलावा, अहमदाबाद की बोपल-घूमा डम्प साइट तथा राजकोट की नाकरावाड़ी डम्प साइट को साफ करके मियावाकी वन बनाए गए हैं। डम्प साइटों के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण से मीथेन गैस के उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई है तथा डम्प साइटों पर कूड़े में आग लगने की घटनाओं से संबंधित समस्याओं का प्रभावी रूप से समाधान हुआ है।

मार्च 2026 तक राज्य के शहरों में 100% लिगेसी वेस्ट निस्तारण का लक्ष्य

गुजरात के शहरी क्षेत्रों में कुल 304.09 लाख मीट्रिक टन लिगेसी वेस्ट की पहचान की गई है, जिसमें से अब तक 273.33 लाख मीट्रिक टन कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार ने मार्च 2026 तक राज्य के शहरों में 100% लिगेसी वेस्ट रिमेडिएशन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

लिगेसी वेस्ट के निस्तारण से स्वच्छता और शहरी विकास को मिली एक नई दिशा

गुजरात सरकार शहरों में वर्षों से जमा कूड़ों के वैज्ञानिक तरीके से निपटान के जरिए पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी विकास को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य सरकार ने निर्मल गुजरात 2.0 योजना के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए लिगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए 75 करोड़ रुपए का विशेष फंड आवंटित किया है। यह योजना स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अनुरूप है और ‘कूड़ा मुक्त शहरों’ के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में कार्यरत है। लिगेसी वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से शहरों को और भी स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ बनाने की दिशा में गुजरात देश के अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन रहा है।

विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार में पहुँचा गोपालगंज में श्रद्धालुओं ने किया अभिवादन

(जीएनएस)। गोपालगंज। धार्मिक आस्था और सनातन परंपरा का प्रतीक बने विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग ने तमिलनाडु से निकलकर बिहार में प्रवेश कर लिया है। जैसे ही यह भव्य और विशाल शिवलिंग गोपालगंज जिले में पहुँचा, श्रद्धालुओं ने शंख-ध्वनि, ढोल-नगाड़ों और “हर-हर महादेव” के जयकारों के साथ उसका भव्य स्वागत किया। मार्ग के दोनों ओर श्रद्धालुओं की घनी भीड़ उमड़ पड़ी, और पुष्पवर्षा के साथ वातावरण भक्तिमय हो गया। इस यात्रा का आयोजन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन चेतना के जीवंत उदाहरण के रूप में भी देखा जा रहा है। यह विशाल शिवलिंग पूर्वी चंपारण में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर के लिए ले जाया जा रहा है। गोपालगंज जिले से गुजरते हुए यह शिवलिंग शनिवार और रविवार को विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं के दर्शन का केंद्र बना रहेगा। प्रत्येक स्थान पर भजन-कीर्तन, पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया।

श्रद्धालुओं का कहना है कि इतनी विशाल और दिव्य आकृति के दर्शन करना उनके लिए जीवन का अविस्मरणीय अनुभव है। विशेषकर युवा और बच्चे इस अनोखी कृति को देखकर अत्यंत रोमांचित और प्रभावित दिख रहे थे। वहीं, बुजुर्ग श्रद्धालु इसे जीवन का पुण्य अवसर मानते हुए धार्मिक भावनाओं में लीन दिखाई दे रहे थे। शिवलिंग की इस यात्रा ने स्थानीय

लोगों में आध्यात्मिक जागरूकता और धार्मिक एकता की भावना को नई ऊँचाई दी है।

जिला प्रशासन ने इस ऐतिहासिक आयोजन के मद्देनजर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। गोपालगंज के सभी प्रमुख मार्गों पर पुलिस और स्वयंसेवी संगठन तैनात हैं। श्रद्धालुओं के मार्ग की सफाई, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए विभिन्न चौकियों और प्वाइंट्स पर निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अनुशासन बनाए रखें और मार्ग में व्यवधान न डालें।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह शिवलिंग महाबलीपुरम (तमिलनाडु) में काले ग्रेनाइट के एक ही शिलाखंड से तराशा गया है। इसका कुल वजन लगभग 210 टन और ऊंचाई 33 फीट है। इसे तराशने में लगभग दस वर्ष का समय लगा। इस अद्वितीय निर्माण में शिल्पकारों ने अत्यंत कुशल और सटीक तकनीक का प्रयोग किया है। इसकी विशालता और भव्यता ने इसे न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि स्थापत्य और शिल्प कला के क्षेत्र में भी विशिष्ट स्थान दिलाया है।

गोपालगंज से आगे बढ़ते हुए यह शिवलिंग अपने अंतिम गंतव्य पूर्वी चंपारण की ओर अग्रसर है, जहां इसे विराट रामायण मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा। मंदिर परिसर को इस विशाल शिवलिंग के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, ताकि यह कृति भव्य और दिव्य रूप में स्थापित हो सके। मंदिर निर्माण कार्य के प्रमुख इंजीनियर ने बताया कि शिवलिंग की स्थापना में भारी मशीनरी और विशेष क्रेन का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए सुरक्षा मानकों और धार्मिक नियमों का भी पूर्ण पालन किया जाएगा।

शिवलिंग की इस यात्रा ने स्थानीय प्रशासन और धार्मिक संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय की भी मिसाल पेश की है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा, यात्रा मार्ग में मंदिरों, आश्रमों और धर्मशालाओं में भोजन और जल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

धार्मिक विद्वानों का कहना है कि शिवलिंग केवल एक मूर्ति नहीं है, बल्कि यह शक्ति, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। इस विशालकाय शिवलिंग की यात्रा ने लोगों के मन में भक्ति भाव को प्रबल किया है। युवा पीढ़ी ने भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त किया। यात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं ने विशेष रूप से हर-हर महादेव और जय गंगा मैया के उद्घोष के साथ पूजा-अर्चना में भाग लिया।

इस विशाल शिवलिंग की यात्रा केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और एकता का अद्वितीय उदाहरण भी साबित हो रही है। विभिन्न राज्यों और जिलों के श्रद्धालु इसे देखने के लिए उमड़ रहे हैं। यह यात्रा देशभर में सनातन परंपरा, भक्ति और आस्था के महत्व को उजागर कर रही है।

गोपालगंज जिला प्रशासन ने भी इस आयोजन को ऐतिहासिक मानते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष बस सेवा, शटल और पार्किंग व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वे सहयोग करें और यात्रा को सफल बनाने में योगदान दें।

इस शिवलिंग के दर्शन और पूजा-अर्चना का कार्यक्रम दोनों दिन जारी रहेगा। यात्रा समाप्त होने के बाद इसे पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा, जहां यह श्रद्धालुओं के लिए स्थायी रूप से पूजा-अर्चना का केंद्र बनेगा। इस शिवलिंग को देखकर न केवल धार्मिक अनुभव मिलता है, बल्कि भारतीय संस्कृति, शिल्प कला और भक्ति के प्रति सम्मान भी प्रकट होता है।

इस भव्य शिवलिंग की यात्रा ने भारत के विभिन्न हिस्सों के लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। तमिलनाडु से लेकर बिहार तक इसकी यात्रा ने पूरे देश में सनातन परंपरा और धार्मिक चेतना को जीवंत किया है। श्रद्धालुओं की भीड़, धार्मिक अनुष्ठान और प्रशासनिक इंतजाम इसे एक आदर्श धार्मिक आयोजन के रूप में सामने ला रहे हैं।

सारांश में कहा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग केवल एक मूर्ति नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक एकता, धार्मिक आस्था और भक्ति का अद्वितीय प्रतीक बनकर उभरा है। गोपालगंज में श्रद्धालुओं का उत्साह, पूजा-अर्चना और प्रशासनिक तैयारियां इस आयोजन को ऐतिहासिक और यादगार बना रही हैं।

उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध पर नकेल: योगी सरकार ने तैयार किए विशेष “साइबर कमांडो”

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों को नियंत्रित करने और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने एक विशेष, प्रशिक्षित और आधुनिक तकनीक से लैस “साइबर कमांडो” टीम का गठन किया है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में ऑनलाइन ठगी, डेटा चोरी, सोशल मीडिया अपराध, फिशिंग और डिजिटल ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित इस टीम में पहले चरण में 15 चुने हुए पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया, जो तकनीकी दक्षता, फील्ड अनुभव और विश्लेषण क्षमता के आधार पर चयनित किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह टीम न केवल अपराध की जांच करेगी, बल्कि अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने और साइबर अपराध की रोकथाम में भी सक्रिय भूमिका निभाएगी।

इस टीम को देश के प्रतिष्ठित तकनीकी और सुरक्षा संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया है। इसमें आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, नया रायपुर, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (गुजरात) और राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी शामिल हैं। प्रशिक्षण में साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल ट्रेसिंग, डेटा विश्लेषण, ऑनलाइन ठगी की जांच और साइबर अपराधियों के मनोविज्ञान की समझ पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रशिक्षकों ने अधिकारियों को यह सिखाया कि कैसे डिजिटल उपकरणों, ईमेल, सोशल मीडिया प्रोफाइल, क्लाउड डेटा और ऑनलाइन लेन-देन का विश्लेषण करके अपराधियों तक पहुंचा जा सकता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों को जटिल और बहु-स्तरीय साइबर अपराधों से निपटने के लिए तैयार करना है।

प्रशिक्षण पूरा होने के बाद साइबर कमांडो टीम को पुलिस मुख्यालय और प्रदेश के विभिन्न जोनों में तैनात किया गया है ताकि साइबर अपराध की सूचना मिलते ही त्वरित और सटीक कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। यह टीम जिला और थाना स्तर पर भी डिजिटल अपराधों की निगरानी करेगी और स्थानीय पुलिसकर्मियों को साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के प्रशिक्षण प्रदान करेगी। अधिकारियों का कहना है कि अब साइबर कमांडो किसी भी ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, डेटा चोरी या सोशल मीडिया उत्पीड़न के मामले में तुरंत कार्रवाई करेंगे और अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह से उजागर करेंगे।

साइबर कमांडो टीम आधुनिक तकनीक और फील्ड अनुभव के संयोजन से लैस है। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को फिशिंग, मैलवेयर, वायरस, रैंसमवेयर और अन्य साइबर हमलों की पहचान और उनका ट्रेस करने का प्रशिक्षण दिया गया। टीम डिजिटल अपराधियों की हरकतों को ट्रैक करेगी और तकनीकी सबूत इकट्ठा करने के साथ-साथ अपराधियों के नेटवर्क को खत्म करने की रणनीति बनाएगी। सोशल मीडिया, ऑनलाइन ठगी, बैंक धोखाधड़ी और डिजिटल ब्लैकमेलिंग जैसे मामलों में यह टीम निर्णायक भूमिका निभाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि साइबर कमांडो टीम के गठन से न केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज होगी, बल्कि आम जनता को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने का भरोसा भी मिलेगा। डिजिटल अपराधों में अक्सर लोग ऑनलाइन ठगी, पहचान चोरी और सोशल मीडिया उत्पीड़न का शिकार होते हैं। अब साइबर कमांडो टीम ऐसे मामलों में तुरंत जांच करेगी और लोगों को साइबर अपराध से बचाने के लिए जागरूक भी करेगी। टीम हर जिले में सक्रिय होगी और लोगों को डिजिटल सुरक्षा के प्रशिक्षण और सलाह भी देगी।

भविष्य में सरकार की योजना है कि साइबर कमांडो की संख्या बढ़ाई जाए और इसे प्रदेश के हर जिले में तैनात किया जाए। इसके साथ ही हर पुलिस स्टेशन में डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर अपराध निवारण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस पहल से यह स्पष्ट संदेश गया है कि योगी सरकार डिजिटल अपराधों के मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और प्रदेश में साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

इस कदम के जरिए उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा और डिजिटल दुनिया में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साइबर कमांडो टीम न केवल अपराधियों को पकड़ने और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में कामयाब होगी, बल्कि जनता को ऑनलाइन धोखाधड़ी और उत्पीड़न से बचाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। इस पहल से प्रदेश के डिजिटल माहौल को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा प्रभावी कदम उठाने का संदेश स्पष्ट रूप से मिल रहा है।

साइबर कमांडो की तैनाती और प्रशिक्षण से यह उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश डिजिटल अपराधों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार करेगा और राज्य में साइबर सुरक्षा के नए मानक स्थापित होंगे। इस विशेष टीम की उपस्थिति से डिजिटल दुनिया में अपराध की रोकथाम, त्वरित कार्रवाई और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, जिससे प्रदेश में तकनीकी अपराधियों के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रहेगी।

मुजफ्फरपुर में रिश्वतखोर जिला कृषि पदाधिकारी गिरफ्तार: 19 हजार रुपये लेते रंगे हाथों दबोचा गया

(जीएनएस)। मुजफ्फरपुर। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के तहत शनिवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जिले के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को 19 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए उनके निजी आवास से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ संदेश देने के प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है। जानकारी के अनुसार, आरोपी अधिकारी पर आरोप है कि उसने एक निविदा कर्मी की सेवा बहाली के लिए कुल दो लाख रुपये की रिश्वत मांग रखी थी। पीड़ित कर्मी ने पहले ही 1.81 लाख रुपये की राशि आरोपी को दे दी थी और शेष राशि देने के दौरान निगरानी टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस प्रकार यह कार्रवाई पूरी तरह से फंसाने की योजना के तहत की गई।

निगरानी विभाग के डीएसपी मिथिलेश कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि सुधीर कुमार को तत्काल पटना ले जाया गया, जहां उसे विशेष निगरानी अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद विभाग ने साफ किया कि किसी भी सरकारी अधिकारी को अपने पद का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुधीर कुमार ने निविदा कर्मी से सेवा बहाली के एवज में रिश्वत लेने की योजना को कई दिनों से अंजाम देने की कोशिश की थी। अधिकारी की गिरफ्तारी से यह संदेश गया कि सरकारी पद का दुरुपयोग करने वालों के लिए अब कोई छूट नहीं होगी। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और जनता के बीच जागरूकता भी बढ़ाई है। अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद निविदा कर्मी ने राहत की सांस ली और इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया।

विशेष निगरानी अदालत में पेशी के बाद सुधीर कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ होगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

मुजफ्फरपुर जिले में यह मामला स्थानीय प्रशासन के लिए भी चेतावनी साबित हुआ है कि पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी अब बख्शे नहीं जाएंगे। निगरानी विभाग ने जिले के अन्य सरकारी विभागों में भी सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इस गिरफ्तारी ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को और तेज कर दिया है और सरकारी पदाधिकारियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। अधिकारियों के अनुसार, सुधीर कुमार की गिरफ्तारी से यह साफ संदेश गया कि अब सरकारी कर्मियों को अपने पद का दुरुपयोग करने की किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार और निगरानी विभाग ने इस कार्रवाई को जनता के बीच पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

झांसी रेल मंडल ने दिसंबर 2025 तक 1,530 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर रिकॉर्ड बनाया

(जीएनएस)। झांसी। झांसी रेल मंडल ने चालू वित्तीय वर्ष में अपने राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में किए गए प्रभावी प्रयासों का परिणाम स्पष्ट रूप से दिसम्बर 2025 तक दिखाई दिया, जब मंडल की संचयी आय 1,530.45 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह पिछले वर्ष की समान अवधि में 1,448.51 करोड़ रुपये की आय की तुलना में 81.94 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि है, जो 5.66 प्रतिशत की प्रगति को दर्शाता है। मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा ने राजस्व वृद्धि के पीछे रणनीतिक योजना, सख्त निगरानी और बेहतर प्रबंधन का श्रेय दिया।

मंडल की आय में वृद्धि मुख्य रूप से यात्री टिकट, माल भाड़ा और टिकट जांच अभियानों से हुई है। टिकट जांच अभियानों से राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक टिकट जांच से 32.99 करोड़ रुपये की आमदनी हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह केवल 22.18 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार टिकट जांच से 10.81 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई, जो 48.74 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाती है। अधिकारी बताते हैं कि टिकट चेकिंग अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रेलवे ने नई तकनीकी प्रणाली और मोबाइल चेकिंग ऐप का उपयोग किया, जिससे काउंटरfeit टिकट और अवैध यात्रा को रोकने में मदद मिली।

मंडल ने माल भाड़े से होने वाली आमदनी में भी सुधार किया है। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में माल यातायात का प्रबंधन बेहतर हुआ है, जिसके चलते आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मंडल के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि माल यातायात के प्रबंधन में नई लॉजिस्टिक प्रणाली लागू की गई, जिससे माल भेजने और प्राप्त करने में तेजी आई और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित हुई। इस रणनीति से ग्राहकों का विश्वास बढ़ा और रेलवे का राजस्व भी सुधरा।

मंडल ने यात्री सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार कर लोगों का विश्वास बढ़ाया। नई सुविधाओं, समय पर ट्रेनों की शुरुआत और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों ने टिकट बिक्री और आय में सकारात्मक प्रभाव डाला। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मंडल ने यात्रियों की शिकायतों को तेजी से निपटाने, ट्रेनों के समय पर संचालन और स्टेशनों पर साफ-सफाई सुनिश्चित करने के साथ-साथ डिजिटल भुगतान प्रणाली को भी मजबूत किया। इसने यात्रियों की संतुष्टि बढ़ाई और टिकट बिक्री में वृद्धि का प्रमुख कारण बनी।

रेल मंडल के अधिकारी बताते हैं कि आगामी वित्तीय माहों में राजस्व वृद्धि और टिकाऊ बनाए रखने के लिए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें माल यातायात के विस्तार, यात्री सेवा की डिजिटल सुविधाओं का और विकास, टिकट जाँच की प्रभावशीलता बढ़ाना और स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार शामिल हैं। अधिकारी आश्वस्त हैं कि यह रणनीति आने वाले वित्तीय वर्ष में भी सकारात्मक परिणाम देगी और मंडल की आमदनी में निरंतर वृद्धि को सुनिश्चित करेगी।

इस प्रकार झांसी रेल मंडल ने अपनी मजबूत निगरानी प्रणाली, उत्कृष्ट प्रबंधन और तकनीकी नवाचार के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में आय में सुधार कर नई मिसाल कायम की है। टिकट जांच से लेकर माल भाड़े, यात्री सेवा और डिजिटल भुगतान तक सभी क्षेत्रों में सुधार ने मंडल को 1,530 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद की है, जिससे यह न केवल वित्तीय दृष्टि से बल्कि सेवा और प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी एक उदाहरण बन गया है।

श्रावस्ती में दिल दहला देने वाली वारदात: 18 वर्षीय युवती की गला रेतकर हत्या, परिवार और गांव में मातम

(जीएनएस)। श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र के शाहपुर बदगदवा गांव में शुक्रवार रात एक भयावह हत्या ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। इस घटना में 18 वर्षीय सुनीता देवी की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात की भयावहता इस बात से और बढ़ जाती है कि युवती की मां कलावती उसी घर में पास ही दूसरी चारपाई पर सो रही थीं, लेकिन उन्हें हमलावरों की कोई आहट तक नहीं लगी। जब मां की नींद खुली, तो उन्होंने खून से लथपथ बेटी को देखा और तुरंत परिजनों और गांव में सनसनी फैल गई।

गांव के लोग और परिजन इस घटना से गहरे सदमे में हैं। मृतका सुनीता देवी, पंचूराम की इकलौती संतान थीं। घटना की जानकारी मिलते ही सिरसिया थाना प्रभारी शैलकांत उपाध्याय अपने पुलिस बल और फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सभी साक्ष्यों को संकलित किया। उन्होंने बताया कि युवती के गले पर धारदार हथियार के स्पष्ट निशान पाए गए हैं। पुलिस ने पूरे घर और आसपास का निरीक्षण किया, ताकि किसी भी सुराग को हाथ से जाने न दिया जाए।

पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने भी घटनास्थल का दौरा किया और प्रारंभिक जांच का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मामला धारदार हथियार से हत्या का प्रतीत होता है और इसे लेकर विशेष टीम गठित कर सभी संभावित कोणों से जांच की जा रही है। प्रारंभिक संकेतों से यह मामला पारिवारिक संदर्भ से जुड़ा लग रहा है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के शीघ्र समाधान के लिए सभी तकनीकी और फोरेंसिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है।

घटना के बाद गांव में डर और दहशत का माहौल है। पड़ोसी और ग्रामीण इस नरसंहार की वजह जानने के लिए चिंतित हैं। मृतका के परिजन सदमे में हैं और किसी को भी विस्तार से जानकारी देने से बच रहे हैं। गांव में चर्चा है कि हत्या की योजना पूर्व से बनाई गई थी और हमलावरों ने घर में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होने दी। इससे स्पष्ट होता है कि अपराधी अत्यंत निपुण और सावधान थे।

पुलिस अब इस मामले में सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है। इसमें परिवार के किसी सदस्य की संलिप्तता, पड़ोसी या अन्य ग्रामीणों के संदर्भ में भी जांच शामिल है। फोरेंसिक टीम ने मौके से खून के निशान, हथियार के संभावित सबूत और सीसीटीवी फुटेज का संग्रह किया है, ताकि अपराधियों का पता लगाया जा सके। इसके अलावा, पुलिस ने ग्रामीणों से भी घटनाक्रम से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए सहयोग मांगा है।

वहीं, इस निर्मम हत्या ने पूरे जिले में सुरक्षा और आत्म-संरक्षण की भावना को चुनौती दी है। लोग अपने घरों में सतर्क हैं और हर छोटी सी आवाज़ पर चौकस हो जाते हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी इस घटना के बाद सुरक्षा बढ़ाने और ग्रामीणों को आश्वस्त करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य स्तरीय अधिकारियों को भी जानकारी दी गई है और जांच को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच अधिकारियों का कहना है कि मामले का शीघ्र खुलासा कर अपराधियों को सजा दिलाना प्राथमिकता है, ताकि परिवार और गांव के लोगों का भरोसा बहाल किया जा सके।

श्रावस्ती की यह हत्या न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए एक गंभीर चेतावनी बन गई है। घटना की भयावहता और चुपचाप अंजाम दी गई वारदात ने यह संदेश दिया है कि अपराधी कितने योजनाबद्ध और सावधान हो सकते हैं। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और फोरेंसिक टीम इस मामले को प्राथमिकता देकर हल करने में जुटी है, ताकि अपराधियों को जल्द पकड़कर न्याय सुनिश्चित किया जा सके और गांव में भय और असुरक्षा का माहौल खत्म किया जा सके।